UPUN010032552026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–12/पॉक्सो कोर्ट प्रथम, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– (शैलेन्द्र सिंह यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP–2730

Criminal Misc. Cases 269/2026

रमाकान्ती.....बनाम.....अमित कुमार आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0

थाना–सफीपुर, जिला उन्नाव।

दिनांक–10.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ आज प्रस्तुत हुई। पूर्व तिथि पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी रमाकान्ती की ओर से विपक्षीगण/अभियुक्तगण अमित कुमार आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

पीड़िता का नाम प्रकट न करने के उद्देश्य से उसे छद्म नाम 'पीड़िता एक्स' से सम्बोधित किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थिनी/वादिनी के कथनानुसार प्रार्थिनी की पुत्री/पीड़िता एक्स उम्र लगभग 15 वर्ष 03 माह है। अमित पुत्र रामआसरे रिश्ते में पीडिता एक्स का मामा लगता है उसका प्रार्थिनी के घर ग्राम आसीवन व दिल्ली में आना–जाना था। प्रार्थिनी बसिलसिले रोजगार सरिता बिहार नई दिल्ली में रहती है तथा अपने गांव आसीवन आती–जाती है। पीड़िता एक्स हाईस्कूल की परीक्षा–2024 के बाद छुट्टियों में प्रार्थिनी के पास दिल्ली गयी थी वहां पर पीड़िता एक्स की मुलाकात पुनः अमित से हुयी उसने पीड़िता एक्स से जान पहचान बढ़ायी तथा फोन पर बातचीत करने लगा तथा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती पीड़िता एक्स के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। प्रार्थिनी माह फरवरी में अपने घर आसीवन थाना आसीवन जिला उन्नाव आयी तब अमित प्रार्थिनी के घर आता–जाता था। पीड़िता एक्स को घर में अकेली पाकर शादी का झांसा देकर जबरदस्ती कई बार पीड़िता एक्स के साथ बलात्कार किया। दिनांक 06.02.2026 को प्रार्थिनी अपने मायके ग्राम जमाल नगर, थाना सफीपुर आयी तब यहां भी पीड़िता एक्स को अकेली पाकर दिनांक 06.02.2026 को अमित कुमार ने पीड़िता एक्स के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। पीड़िता एक्स ने प्रार्थिनी को यह बात बतायी। दिनांक 08.02.2026 को प्रार्थिनी अपनी मॉ व भाई राम जी के

Digitally signed by SHAILENDRA SINGH YADAV
Date: 2026.07.10 16:11:13 IST
Reason: Document Owner
Location: A.D.J. Court no. 12/Pocso

साथ अमित के घर गयी, अमित के पिता रामआसरे व उसकी मां मिली। प्रार्थिनी व उसकी मां व भाई ने जब उपरोक्त सारी बातें उन्हें बतायी तब अमित व उसके घरवालों ने पीड़िता एक्स के साथ बालिग होने पर शादी करने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थिनी, उसकी मां व भाई को गालियां देकर बेइज्जत किया। प्रर्थिनी ने इस घटना की सूचना थाना सफीपुर में दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अमित कुमार प्रार्थिनी व पीड़िता एक्स को धमकी देता है कि यदि मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा तथा प्रार्थिनी को धमकी देता है कि पीड़िता एक्स की भविष्य में कहीं शादी नहीं करने देगा। यदि पीड़िता एक्स को उसके साथ नहीं भेजेगी तो वह उसके पुत्र आकाश को जान से मरवा देगा। दिनांक 17.04.2026 को समय लगभग 11.00 बजे दिन उक्त अमित की मॉ अपने भाई जग्गा, बहनोई निवासी ग्राम मरौंदा के साथ प्रार्थिनी के मायके ग्राम जमाल नगर आयी जहां प्रार्थिनी व पीड़िता एक्स मिली। उक्त सभी लोगों ने प्रार्थिनी पर जबरदस्ती पीड़िता एक्स को अमित के साथ भेज देने का दबाव बनाया। प्रार्थिनी ने मना किया तो सभी लोग गालियां देते हुए प्रार्थिनी व पीड़िता एक्स को मारने पीटने लगे तथा जबरदस्ती घसीटकर ले जाने लगे। उक्त लोग पीड़िता एक्स को उठवा लेने की धमकी देते हुए चले गये। इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने दिनांक 18.04.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव से मिलकर व ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया तथा उच्च अधिकारियों को भी जरिये फैक्स प्रार्थना पत्र दिये, परन्तु अभी तक प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

उपरोक्त कथनों के आधार पर थानाध्यक्ष सफीपुर को सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिनी द्वारा फेहरिस्त सूची 5ब/1 से एक किता छायाप्रति प्रार्थना पत्र श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव मय रसीद दिनांकित 18.04.2026, एक किता छायाप्रति प्रार्थना पत्र श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय लखनऊ दिनांकित 18.04.2026 मय रसीद, एक किता छायाप्रति प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 शासन लखनऊ दिनांकित 18.04.2026 मय फैक्स रसीद व छायाप्रति आधार कार्ड, हाईस्कूल प्रमाण पत्र पीड़िता एक्स एवं तीन अदद फोटो प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रो का अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस.सी.सी.–1** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि द0प्र0स0 की धारा–156(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय निम्न परिस्थितियो पर ध्यान देते हुए अपने विवेक का प्रयोग कर आदेश पारित करना चाहिए।

1– क्या प्रार्थना पत्र स्वीकार न करने पर पुलिस द्वारा परिवादी के अधिकारो का हनन तथा असत्य रचना (मैनीपुलेशन) का प्रयास किया जा सकता है?

2– क्या प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना परिलक्षित नही होता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने की दशा में विपक्षी के अधिकारों का हनन होता

है?

इस प्रकार धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने से पूर्व न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्रावली से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना परिलक्षित हो रहा है और न्यायहित में उक्त आदेश दिया जाना आवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सम्मानित विधि व्यवस्था–**सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 सी.आर.एल.जे. 472** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा–156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अभियोग पंजीकृत करने हेतु बाध्य नही है और अपने विवेक पर प्रार्थना पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सम्मानित विधि व्यवस्था **विश्वनाथ बनाम उ0प्र0 राज्य 2009 सीआर0एल0जे0 149** में यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश करे, यदि न्यायालय यह पाता है कि मामले में कोई सार नहीं है तो प्रार्थना पत्र निरस्त कर सकता है भले ही प्रार्थना पत्र में जो तथ्य दर्शित किये गये हैं, उससे संज्ञेय अपराध होना दर्शित होता है।

सम्बन्धित थाना से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका रमाकान्ती की बेटी विपक्षी अमित पुत्र रामआसरे के साथ तय थी। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी है तथा मंगनी भी लड़की की ननिहाल जमाल नगर में हुई थी कि बालिग होने पर दोनों की शादी की जायेगी, किन्हीं कारणों से दोनों पक्षों में अनबन चल रही है। मंगनी की फोटो आदि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थिनी की पुत्री/पीड़िता एक्स उम्र लगभग 15 वर्ष 03 माह हाईस्कूल की परीक्षा–2024 के बाद छुट्टियों में प्रार्थिनी के पास दिल्ली गयी थी वहां पर पीड़िता एक्स की मुलाकात अमित पुत्र रामआसरे से हुयी उसने पीड़िता एक्स से जान पहचान बढ़ायी तथा फोन पर बातचीत करने लगा तथा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती पीड़िता एक्स के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। प्रार्थिनी माह फरवरी में अपने घर आसीवन उन्नाव आयी तब अमित प्रार्थिनी के घर आता–जाता था। पीड़िता एक्स को घर में अकेली पाकर शादी का झांसा देकर जबरदस्ती कई बार पीड़िता एक्स के साथ बलात्कार किया। दिनांक 06.02.2026 को प्रार्थिनी अपने मायके ग्राम जमाल नगर, आयी तब भी अमित ने पीड़िता एक्स के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। दिनांक 08.02.2026 को प्रार्थिनी अपनी मॉ व भाई राम जी के साथ अमित के घर गये तथा उसके माता–पिता से मिली। अमित व उसके घरवालों ने पीड़िता एक्स के साथ शादी करने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थिनी, उसकी मां व भाई को गालियां देकर बेइज्जत किया। पीड़िता एक्स के शारीरिक सम्बन्ध न बनाये जाने पर अमित, प्रार्थिनी व

पीड़िता एक्स को धमकी दिया कि तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा और भविष्य में कहीं शादी नहीं करने दूंगा एव प्रार्थिनी के पुत्र आकाश को जान से मार देने की भी धमकी दिया। उक्त सभी लोगों ने प्रार्थिनी पर जबरदस्ती पीड़िता एक्स को अमित के साथ भेज देने का दबाव बनाया। प्रार्थिनी ने मना किया तो सभी लोग गालियां देते हुए प्रार्थिनी व पीड़िता एक्स को मारने पीटने लगे तथा जबरदस्ती घसीटकर ले जाने लगे। उक्त लोग पीड़िता एक्स को उठवा लेने की धमकी देते हुए चले गये।

चूँकि प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण का नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की पूर्ण जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य की उद्‌भूत होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है।

प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जांच प्रक्रिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 05.08.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–12/पॉक्सो
कोर्ट प्रथम, उन्नाव।
10.07.2026